झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
पंचम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 03.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री बंधु तिकी स0वि0स0	एच0ई0सी0 विस्थापितों को उनके मूल गाँव के ही नाम के पूर्नवास स्थलों पर बसने के लिए 10 से 20 डीसमील जमीन प्रति परिवार उपलब्ध करायी गयी थी। पचास वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें आजतक भूमि का मालिकाना हक नहीं दिया गया। पंजी-ii में नाम दर्ज नहीं होने के कारण मालगुजारी रसीद नहीं कट पा रही है। परिणाम स्वरूप विस्थापितों का जाति- प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र नहीं बन पा रहा है, जिससे विभिन्न सरकारी योजनायें, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास योजना एवं सरकारी या अर्द्ध सरकारी नौकरियों के लाभ से वंचित है। अतः एच0ई0सी0 विस्थापितों को बसाये गये भूमि का पंजी- ii में दर्ज करते हुए रसीद निर्गत की जाय, साथ ही एच0ई0सी0 की स्थापना के लिए आवंटित भूमि का उद्देश्य बदल कर 22 विभिन्न संस्थानों को दिये गये हैं। उक्त संस्थानों में विस्थापितों को योग्यतानुसार नौकरी देने एवं the Right to fair	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		compensation and Tranparency in Land Acquisition,Rehabilitation and Resettlement act-2013 के तहत् विस्थापितों को मुआवजा देने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
02-	श्री समीर कुमार मोहन्ती स0वि0स0	राज्य में शैक्षणिक विकास में BRP/CRP कर्मी की भूमिका अहम है। इनकी सेवावधि 16 वर्षों से अधिक हो चुका है। अनुबंध कर्मी/दैनिक अल्प वेतन भोगी/अस्थायी कर्मियों के संदर्भ में सेवा स्थायी सम्बन्धी APPEX Court का न्यायिक आदेश पारित है तथा राज्य सरकार भी पत्र संख्या- 4871 dt. 20.06.2019 एवं पत्र संख्या- 5535 dt. 12.07. 2019 के तहत् नीतिगत फैसले ले चुकी है लेकिन इस दिशा में अभी तक ठोस निर्णय नहीं हो पाया है और ऐसे कर्मी बुनियादी सुविधाओं- ESI/GPF/EPF,MA,PA एवं EL आदि से वंचित हैं। अतः इनकी [BRP/CRP] सेवा नियमितीकरण होने तक उद्धित बुनियादी एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
03-	श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0	राज्य में जल जीवन मिशन के तहत् वर्ष- 2024 तक कुल- 50.28 लाख घरों को नल से जल देने का लक्ष्य निर्धारित है और वित्तीय वर्ष 2019-20 में सिर्फ 98 हजार घरों में पाईप द्वारा जल पहुँचाने का कार्य हुआ है तथा वित्तीय वर्ष 2021 में 12 लाख घरों को नल का कनेक्शन देने की योजना है परन्तु अबतक मात्र 10% घरों में ही उक्त योजना का लाभ मिली है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तर पर शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 135 लीटर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में	पेयजल एवं स्वच्छता

क0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		प्रति व्यक्ति 40 लीटर जल की आवश्यकता है, जिसके अन्तर्गत शहरी निकायों में 1616.95 लाख गैलन जल की आवश्यकता है जबकि राज्य में जल की उपलब्धता सिर्फ 734.35 लाख गैलन ही है। इतना ही नहीं राज्य में करीब 2,000/- करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं में अबतक मात्र 200/- करोड़ रूपये राशि ही खर्च हुई है तथा अबतक एक भी योजना पूर्ण नहीं हुई है साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में कुल-11 (ग्यारह) डैमों से पेयजलापूर्ति कार्य की जाती है जिसका राज्य गठन से अबतक सफाई नहीं होने के कारण उक्त डैमों में गाद बढ़ता गया जिसके कारण इनदिनों हजारीबाग जिला अन्तर्गत कटकमसांडी प्रखण्ड में स्थित छड़वा डैम सहित राज्य के कई अन्य डैमों का जल संग्रहण क्षेत्र काफी कम हो गई है जो जाँच का विषय है जिसके कारण गर्मी के दिनों में पेयजलापूर्ति की राशनिंग की जाती है जिससे लोगों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ता है। सरकार एक ओर पेयजलापूर्ति हेतु अरबों रूपये राशि खर्च कर पाईप लाईन बिछाने का कार्य तो कर रही है परन्तु उक्त पाईप में पेयजलापूर्ति हेतु पानी कहाँ से आएँगी उसपर कोई कार्य योजना अबतक नहीं बनाई गई है और न ही बीस वर्षों में कोई नया डैम का निर्माण किया गया। ऐसे में सरकार वर्ष 2024 तक कैसे हर घर को नल से जल देने का कार्य सफल करेगी। अतः सरकार का ध्यान राज्य के इस गंभीर विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
04-	श्री दीपक बिरूवा स0वि0स0 प्रो0 स्टीफन मराण्डी स0वि0स0 श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0	राँची विश्वविद्यालय राँची में 5 जनजातीय एवं 4 क्षेत्रीय भाषाओं को मिलाकर एक स्नातकोत्तर विभाग चल रहा है। सचिव, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 559, दिनांक- 08.03.2019 द्वारा उपर्युक्त 9 भाषाओं के व्याख्याता, रीडर और प्रोफेसर का पद सृजन कर दिया गया है।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

01.	02.	03.	04.
		परन्तु राँची विश्वविद्यालय प्रशासन और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची ने उक्त संकल्प के आलोक में अबतक कोई अधिसूचना निर्गत नहीं की गई जिस कारण जनजातीय भाषाओं का विकास समुचित स्तर पर रूक गया है। विदित् हो कि जनजातीय भाषाओं का अलग अस्तित्व के साथ स्वतंत्र पहचान है। अतएव उपर्युक्त संकल्प में उल्लेखित प्रावधानानुसार जनजातीय भाषाओं के उत्थान एवं संरक्षण हेतु अलग-अलग स्वंतत्र विभाग गठन करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।	
05-	डॉ0 इरफान अंसारी स0वि0स0 श्री उमाशंकर अकेला स0वि0स0 श्री अमित कुमार यादव स0वि0स0	डी0वी0सी0 के बाँधो और बराजों से पानी छोड़े जाने से जामताड़ा जिला के वीरगाँव केलाही, चन्द्रदीपा, लादना, गुवाकोला, पियालसोला, श्यामपुर, किताजोर, भीलदाहा, खरवा, चलना, करमा, भण्डारो, भरचण्डी सहित कई अन्य गाँवों की हालत बदतर हो गई है। आस-पास के इलाकों में पानी भर जाता है जिससे हजारों घर को नुकसान पहुँचता है। किसानों की फसल भी बर्बाद हो जाती है। लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पास में स्थित मैथन पावर लि0 से होने वाले प्रदूषण से नदी का पानी दूषित होता है एवं बारिश भी अनुपात से कम होता है। मैथन पावर लि0 को बिजली उत्पादन करते लगभग 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक सभी विस्थापितों को नियोजन नहीं किया गया है। ना ही डी0वी0सी0 और ना ही मैथन पावर लि0 द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी0एस0आर0 फण्ड) के तहत् कोई भी राहत कार्य या विकास कार्य किया गया है, जिससे आस-पास के लोगों में भारी आक्रोश है।	ऊर्जा

01.	02.	03.	04.
		जबकि मैथन पावर लि० के परिपत्र में यह साफ दर्शाया गया है कि प्रत्येक 9 कि०मी० में सी०एस०आर० के माध्यम से विकास कार्य करना है। अतएव जनहित में सरकार का ध्यान इस गंभीर मामले की ओर ध्यानाकृष्ट करना चाहेंगे।	

राँची,
दिनांक- 03 मार्च, 2021 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-03/2021-.....831...../वि० स०, राँची, दिनांक- 02/03/2021

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं ऊर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०- प्र०ध्या०-03/2021-.....831...../वि० स०, राँची, दिनांक- 02/03/2021

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

02/03/2021